न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र–39/2021

प्रार्थी–

1. राम किशोर पुत्र नरसी राम, जाति–जाट
   निवासी– मेरवास , तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री गोविन्दराम ढाका
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 30/12/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राम किशोर ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा फरड़ोद तहसील जायल के सम्वत् 2070–2073 खतौनी सं. 157 के खसरा नम्बर 510 रकबा 0.8822 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम किशोरराम पुत्र नृसिंहराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा.मेरवास खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के आधारकार्ड संख्या 4133, 7839, 1680 तथा ड्राईविंग लाईसेन्स संख्या आरजे 21/डीएलसी/12/88332 दिनांक 01.05.2012 मे प्रार्थी का सही नाम रामकिशोर पुत्र नरसीराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 24.11.2021 को आईएलआर फरड़ोद मय हल्का पटवारी धारणा की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम ऑनलाईन जमांबदी संम्वत 2073–2076 स्थायी में किशोरराम पुत्र

30/12/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

नृसिंगराम हिस्सा पूर्ण जाति जांट सा. मेरवास खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी खाता संख्या 157 खसरा नंबर 510 रकबा 0.8822 हैक्टेयर में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी को गांव में वर्तमान में भी किशोरराम नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधारकार्ड संख्या 4133, 7839, 1680 तथा ड्राईविंग लाईसेन्स संख्या आरजे 21/डीएलसी/12/88332 दिनांक 01.05.2012 में नाम रामकिशोर दर्ज है। प्रार्थी को गांव में बोलचाल में किशोरराम के नाम से पुकारने कारण इनके खरीदसुदा भूमि के नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम किशोरराम पुत्र नृसिंगराम दर्ज किया था। उपस्थित मौतबिरानों ने किशोरराम तथा राम किशोर दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में आईएलआर फरड़ोद मय हल्का पटवारी धारणा तहसील जायल की संयुक्त रिपोर्ट तथा प्रार्थी के आधारकार्ड संख्या 4133, 7839, 1680 तथा ड्राईविंग लाईसेन्स संख्या आरजे 21/डीएलसी/12/88332 दिनांक 01.05.2012 तथा नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 157 खसरा नंबर 510 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में फरड़ोद के खतौनी सं. 157 में अंकित खसरा नं. 510 प्रार्थी का नाम किशोरराम पुत्र नृसिंगराम के स्थान पर राम किशोर पुत्र नरसीराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ग्राम फरड़ोद तहसील के खतौनी सं. 157 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि जो बेचान के नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार आधारकार्ड संख्या 4133, 7839, 1680 तथा ड्राईविंग लाईसेन्स संख्या आरजे 21/डीएलसी/12/88332 दिनांक 01.05.2012 की फोटो प्रति में प्रार्थी रामकिशोर एवं किशोरराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय राम किशोर के स्थान पर किशोरराम दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि किशोरराम एवं राम किशोर दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये किशोरराम के स्थान पर राम किशोर का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 157 में दर्ज खातेदार नाम किशोरराम पुत्र नृसिंगराम के स्थान पर वास्तविक नाम राम किशोर पुत्र नरसी राम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम फरड़ोद तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 157 खसरा नंबर 510 रकबा 0.8822 हैक्टेयर में दर्ज नाम किशोरराम पुत्र नृसिंगराम के स्थान पर राम किशोर पुत्र नरसी राम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29/12/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

29/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner